राजस्थान कर बोर्ड,अजमेर

अपील संख्या 1145 / 2016 / श्रीगंगानगर

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी
वार्ड–द्वितीय, वृत–ए,सीकर अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स बागला सेल्स कारपोरेशन
मुख्यालय सूरतगढ ब्रांच जयपुर प्रत्यर्थी

एकलपीठ

श्री मदन लाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित

श्री अनिल पोखरणा
उप राजकीय अभिभाषक अपीलार्थी की ओर से

श्री वी.के.पारीक व श्री श्याम पारीक
अभिभाषक प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांकः 24.03.2017

निर्णय

यह अपील अपीलार्थी विभाग की ओर से अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर, बीकानेर (जिसे आगे अपीलीय अधिकारी कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 281 / आरवैट / सूरतगढ / 2014–15 में पारित आदेश दिनांक 26.05.2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसके द्वारा उन्होंने सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट–द्वितीय, सीकर (जिसे आगे कर निर्धारण अधिकारी कहा जायेगा) के द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 76 (6) के अन्तर्गत मांग रू. 1,45,490 / –सृजित की गई, को अपास्त किया है ।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि कर निर्धारण अधिकारी ने दिनांक 06.10.2014 को वाहन संख्या एचआर.–45–ए–2269 को बीकानेर बाईपास सीकर रोड पर चेक किया। वक्त चेकिंग वाहन में 900 कार्टून वाशिंग सोप परिवहनित किया जाना पाया गया। वक्त जांच उक्त माल से सम्बन्धित दस्तावेजा मांगे जाने पर वाहन चालक ने बिल, बिल्टी तथा घोषणा पत्र वैट–47 संख्या 294971 आदि दस्तावेज प्रस्तुत किये गये। प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों की जांच पर दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत किया गया घोषणा पत्र वैट–47 संख्या 294971 अवधिपार /कालातीत पाया गया। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा जांच करने पर पाया गया कि प्रपत्र वैट–47 समयावधि पार का है, अतः समयावधि पार के वैट–47 का प्रयोग करना अधिनियम की धारा 76 (2) सपठित नियम 51(1) के प्रावधानों का उल्लंघन होने से कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। नोटिस की पालना में जवाब प्रस्तुत किया,जिसमें बताया गया कि घोषणा पत्र वैट–47 संख्या 294971 अवधि पार था, जो तकनीकी भूल है तथा हमारे प्रकरण का निपटारा आज हमारी फर्म की नाम से कर दिया जावे। विभाग द्वारा घोषणा पत्र तीन वर्ष की अवधि तक की वैध मानकर जारी किया गया था तथा समयावधि के पश्चात उसकी बिना वैधता बढवाये प्रयोग करना अधिनियम के प्रावधानों उल्लंघन है, अतः कर

निर्धारण अधिकारी ने प्रस्तुत जवाब को अस्वीकार करते हुए अधिनियम की धारा 76 (6) के अन्तर्गत आदेश दिनांक 07.10.2014 पारित कर मांग रू. 1,45,490 / –की सृजित की है। उक्त सृजित मांग के शास्ति आदेश से क्षुब्ध होकर अपीलार्थी व्यवहारी ने अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की,जिसको उन्होंने स्वीकार कर सृजित मांग को अपास्त कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.05.2015 पारित किया। अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.05.2015 के असन्तुष्ट होकर यह अपील विभाग की ओर से प्रस्तुत की गई है।

राजस्व की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलीय अधिकारी ने प्रकरण के तथ्यों की अनेदेखी करते हुए कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित शास्ति को अपास्त किया रखा है, जो अविधिक है।उनका कथन है कि नोटिस के जवाब में अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से यह स्वीकार किया गया है कि उसके द्वारा कालातीत वैट–47 काम में लिया गया है जबकि वक्त जांच परिवहनित माल के साथ घोषणा प्रपत्र वैट–47 होना आज्ञापक है, उसके अभाव में अधिनियम की धारा 76 (2) सपठित नियम 54 एवं 51(1) का उल्लंघन होने के कारण कर निर्धारण अधिकारी ने अधिनियम की धारा 76 (6) के अन्तर्गत शास्ति एवं कर आरोपित किया है,जो विधिक है। उनका कथन है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय मै0 गुलजग इण्डस्ट्रीज बनाम वा0क0अ0,18 टैक्स अपडेट 321 में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि माल परिवहन के दौरान दस्तावेज उपलब्ध नहीं होने अथवा अपूर्ण होने पर, कर चोरी की मंशा को प्रमाणित करना आवश्यक नहीं है । उन्होंने उक्त कथनों के आधार पर प्रस्तुत अपील स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.05.2015 को यथावत अपास्त करने का निवेदन किया।

प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से अधिकृत प्रतिनिधि ने उपस्थित होकर कथन किया कि कालातीत घोषणा प्ररूप वैट–47 प्रस्तुत करना मात्र एक तकनीकी त्रुटि थी जिसके संबंध में शास्ति एवं कर आरोपित किया है, वह विधिसम्मत एवम् उचित नहीं है । उन्होंने अपने कथन के समर्थन में कर बोर्ड की माननीय एकलपीठ द्वारा अपील संख्या 2316 / 2011 / उदयपुर के प्रकरण में पारित निर्णय दिनांक 26.02.2013 में पारित निर्णय को उद्धृत करते हुए अभिवाक् किया कि माननीय एकलपीठ द्वारा अपने निर्णय दिनांक 16.07.2013 में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत 120 एस. टी.सी. 212 मैसर्स महावीर चंद एण्ड सन्स, माननीय कर बोर्ड की समन्वय पीठ (एकलपीठ) द्वारा अपील क्रमांक 2505 / 2011 / चुरू निर्णय दिनांक 08.01.2013, मैसर्स नेवेयर इन्टरनेशनल लि., कोटा बनाम् सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, उड़नदस्ता, कोटा (2002) 1 आर.टी.आर. 149 निर्णय दिनांक 17.03.2002, सहायक वाणिज्यिक कर

अधिकारी, प्रतिकरापवंचन–द्वितीय, जोधपुर बनाम् मैसर्स जे.के.इण्डस्ट्रीज़, कांकरोली, राजसमंद (2002) 1 आर.टी.आर. 26 के प्रकरणों में हुये निर्णयों को प्रोद्धरित कर मतप्रतिपादित किया है कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने अवधि पार घोषणा प्ररूप की प्रस्तुति को मात्र एक तकनीकी अनियमितता होना अवधारित किया है। उन्होंने उक्त कथन के आधार पर अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.05.2015 का समर्थन करते हुए कर निर्धारण अधिकारी के आदेश दिनांक 07.10.2014 को अपास्त कर प्रस्तुत अपील अस्वीकार करने का निवेदन किया।

उभय पक्ष की बहस सुनी गयी तथा रिकॉर्ड का परिशीलन किया गया। प्रकरण में स्पष्ट है कि माल प्रभारी द्वारा वाहन में परिवहनित माल के संबंध में प्रस्तुत दस्तावेजों के साथ घोषणा प्रपत्र वैट–47 संख्या 2954971 प्रस्तुत किया गया, जो जांच के पश्चात कालातीत पाये जाने पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। नोटिस की पालना में अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा कथन किया गया है कि अवधि पर प्रपत्र वैट 47 प्रस्तुत करना मात्र तकनीकी त्रुटि है।अपीलीय अधिकारी ने राजस्थान कर बोर्ड द्वारा सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,घट प्रथम,करापवंचन,आबूरोड बनाम मैसर्स ओम स्टील, अजमेर (2013)37 टैक्स अप डेट पेज–1 में पारित निर्णय का भाग उद्धरित करते वक्त चेंकिंग प्रस्तुत अवधि पार वैट–47 को मात्र तकनीकी अनियमितता की श्रेणी में मानते हुए अधिनियम की धारा 76 (6) के अन्तर्गत आरोपित शास्ति को अपास्त किया है । इसके अलावा माननीय कर बोर्ड द्वारा भी **सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन–द्वितीय, जोधपुर बनाम् मैसर्स जे.के.इण्डस्ट्रीज़, कांकरोली, राजसमंद (2002) 1 आर.टी.आर. 26** में अवधि पार घोषणा प्ररूप की प्रस्तुति को एक तकनीकी अनियमितता माना है । उक्त न्यायिक निर्णय के विरूद्व सिविल अपील (एस.एल.पी.) माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी थी, जो क्रमांक 12311/2000 पर दर्ज होकर, दिनांक **28.06.2000** को खारिज कर दी गयी है। चूंकि विवादित बिन्दु पर विधिक स्थिति ने अंतिमतता ग्रहण कर ली है अतः इस संबंध में विद्वान अभिभाषक प्रत्यर्थी व्यवहारी के तर्क विधिसम्मत एवम् उचित है। लिहाजा, माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उक्त बिन्दु के संबंध में प्रतिपादित सिद्धांत के आलोक में, हस्तगत प्रकरण में अपीलार्थी कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेश विधिसम्मत एवम् उचित नहीं है।

प्रकरण के उपरोक्त विश्लेषित तथ्यों के आधार पर एवं उपरोक्त न्यायिक

दृष्टान्तों के प्रकाश में अपीलीय अधिकारी का अपीलाधीन आदेश विधिक है। अतः अपीलाधीन आदेश दिनाक 26.05.2015 की पुष्टि करते हुए प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है।

परिणामतः अपीलार्थी विभाग की ओर से प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है।

. निर्णय सुनाया गया ।

(श्री मदन लाल मालवीय)
सदस्य